Serial No. 13135 Circle:-:Sultanganj Book No. :- 1 Deed No. 12973

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

सत्यमेव जयते

INDIA

AE 138372

बिहार BIHAR
Serial No. 13135

Deed No. 12973

ABANIKANT PANDEY
Stamp Vendor
Li. No -
Court Compound
Bhagalpur

बिहार सरकार
जिला निबंधन कार्यालय, भागलपुर

पृष्ठांकन का सारांश

दिनांक 28/10/2019 को **Sanjit Kumar** द्वारा यह दस्तावेज निबंधन हेतु उपस्थापित किया गया । इसमे रू0 **14500** मुद्रांक शुल्क एवं रू0 **6000** निबंधन तथा अन्य शुल्क का भुगतान किया गया । दस्तावेज ग्राह्य पाया गया । जिन लेख्यकारियों ने मेरे समक्ष इसका निष्पादन स्वीकार किया उनके तथा उनके पहचानकर्ता के नाम, फोटो, अंगुलियों के निशान एवं हस्ताक्षर पीछे अंकित है। इसे दस्तावेज सं0 **12973** के रूप में पुस्तक सं0 **1** की जिल्द सं0 **216** के पृष्ठ सं0 **560** से **569** तक **CD 34** में आज निबंधित एवं कुल **10** पृष्ठों में संधारित किया गया ।

भुषार
निबंधन पदाधिकारी

दिनांक- 28/10/2019 टोकन नं. 13282 / 2019

अवध किशोर शर्मा
उच्चवर्गीय लिपिक
जिला निबंधन कार्यालय
भागलपुर

Lease Deed
पट्टा

1. लेख्यकारी / निष्पादक(पट्टाकर्त्ता) का नाम एवं पुरा पता:- श्री संजीत कुमार

जमाबंदी विवरणी मिलान किया
Ref No-000 480

SCROLL CHECKED

Scanned By
Computer Operator

नं0 7588 सिरियल नं0 7378 दस्तावेज नं0 7296 जिल्द नं0 124 पेज नं0 565 से 577 सी0 डी0 20 निबंधन दिनांक 14.06.2016 ई0 को निबंधन कार्यालय भागलपुर मे निबंधित कराकर वो अंचल जमाबंदी में दाखिल खारिज करांकर रेन्ट वील रसीद कटाते चले आ रहे है। जिसका भाग वर्त्तमान 45, पृष्ठ संख्या 2535, जमाबंदी नं0 7344 है जो लेख्यकारी के नाम से कायम हैं। जिसपर मेरा अधिकार और दखल कब्जा विवाद रहित है उपर्युक्त लेख्यधारी द्वितीय पक्ष ने उपरोक्त वर्णित तथ्यों को स्वीकार करते हुए जायद वो मुनासीब मानकर तालिका जायदाद खाना नं0 5 वाला 29 वर्ष के लिए लीज पर **व्यवसाय (हिन्दुस्तान पेट्रोलियम)** के लिए लेख्यकारी प्रथम पक्ष ने निम्नलिखित शर्तो पर देना कबुल किया और लेख्यधारी द्वितीय पक्ष ने भी लेना स्वीकार किया।

हम दोनो लेख्यकारी और लेख्यधारी के मध्य में इस पट्टे के संबंध में ये बाते तय हुई।

1. इसलिए लेख्यकारी ने अपनी इच्छा से मन और शरीर की स्वस्थता में बिना किसी दबाव या जोर जबर्दस्ती के उपर्युक्त जमीन 29 वर्षो की अवधि के लिए 10,000/– रूपैया प्रति वर्ष या अन्यय–मन हुन्डा वार्षिक लगान पर उपर्युक्त लेख्यधारी ने इस भूमि को अपने अधिकार में ले लिया।
2. यह कि तालिका जायदाद खाना नं0 5 वाली जमीन पर लेख्यधारी द्वितीय पक्ष सिर्फ **हिन्दुस्तान पेट्रोलियम का व्यवसाय से** संबंधित कार्य को करेंगे।

संजोर कुमार 28/10/19

कोई भी गैर कानूनी कार्य नहीं करेंगे अगर ऐसा पाया जाता है तो उसकी जिम्मेदारी लेख्यधारी की होगी।

3. यह कि लीज पर दी गई तालिका जायदाद खाना नं0 5 वाली जमीन पर लेख्यधारी द्वितीय पक्ष अपने जरूरत के अनुसार उक्त जमीन में, अस्थाई निर्माण कार्य, अपने कार्य के आवश्यकतानुसार करेंगे इसमें किसी प्रकार की आपत्ति प्रथम पक्ष को नहीं होगा।
4. यह कि लेख्यधारी द्वितीय पक्ष को, लेख्यकारी प्रथम पक्ष अपने अच्छी समझ के साथ संतुष्ट होकर पुनः इस अवधि के समाप्ति के बाद किराये की अवधि को अग्रसारित कर सकते है।
5. यह कि लेख्यकारी प्रथम पक्ष को अपनी जमीन देख रेख करने का अधिकार होगा इसमें किसी प्रकार का कोई आपत्ति द्वितीय पक्ष को नहीं होगा।
6. यह कि लेख्यधारी अपनी इच्छा से इस लीज को एच0पी0सी0एल0 (HPCL) को सब लीज (Sub Lease) कर सकता है इसमें लेख्यकारी को कोई आपत्ति नहीं है।
7. यह कि अगर उपरोक्त वर्णित सारे शर्ते व तथ्यों का पालन दोनो पक्षकारों में से कोई नहीं करता है तो दोनो पक्षकारों को इस पट्टा वाला लीज दस्तावेज के आधार पर अधिकार होगा कि समाज व न्यायालय क्षेत्राधिकार के तहत विवादित मामला को दाखिल कर निदान प्राप्त कर

संजीव कुमार 28/10/19

सकते है परन्तु उक्त लीज दस्तावेज ही निर्णय हेतु अंतिम रूप से मान्य होंगे।

8. यह कि तालिका जायदाद खाना नं0 5 वाली जमीन पर **व्यवसाय** हेतु कार्य करेंगे परन्तु किसी प्रकार का जमीन के परिस्थिति विरूद्ध या अन्य व्यापार के लिए प्रतिबंधित होंगे।

9. यह कि इस दस्तावेज संबंधी न्याय क्षेत्र भागलपुर होगा।

10. यह कि उक्त जमीन पर यदि किसी भी तरह का कानूनी विवाद होता है तो उसको सुलझाने की सारी जिम्मेवारी पट्टाकारी की होगी। उक्त झंझट से पट्टाधारी को कोई लेना देना नहीं होगा। यदि झंझट को सुलझाने में अधिक समय लगता है तो उस अवधि का पट्टे का कीमत पट्टाधारी द्वारा पट्टाकारी को नहीं दिया जायेगा।

11. इस पट्टे के द्वारा लेख्यधारी का कोई स्थायी अधिकार नहीं होगा।

12. यदि दो वर्ष तक द्वितीय पक्ष उचित किराया नहीं चुकायेगा तो प्रथम पक्ष द्वितीय पक्ष को तीसरे वर्ष में सूचना देकर द्वितीय पक्ष को उक्त भूमी खाली कर देने के लिए बाध्य करेगा एवं न्यायालय के जरिए बाकी राशि वसुल कर लेगा। द्वितीय पक्ष प्रथम पक्ष से किराया देने का प्रमाण पत्र प्रथम पक्ष से द्वितीय पक्ष नहीं प्राप्त कर सके उस हालत में मनीआर्डर के द्वारा किराया अदा किया करेगा।

13. हम दोनो इस व्यवस्था से हम दोनो पक्ष के उत्तराधिकारी या स्थानान्नपन्न भी प्रभावित होंगे।

अतः हमदोनो पक्षों ने यह पट्टा लिख दिया कि प्रमाण रहे और समय पर काम दे।

जमीन का पूरा विवरण

मौजा– अकबरनगर, थाना– सुलतानगंज, अंचल– सुलतानगंज, अवर रजिष्ट्री ऑफिस भागलपुर सदर रजिष्ट्री भागलपुर जिला भागलपुर थाना सं0 62 वो जमाबंदी नं0 7344 है। जिसका सर्वे खाता नं0– 2317, खसरा नं0 6840 मे0से0, रकवा 10 (दस) डिसमल है जिसकी मापी लम्बाई उत्तर से दक्षिण 120 फीट वो चौड़ाई पुरब से पश्चिम 36 फीट 3 ईंच हैं, वो लगान 5/– रूपैया अलावे शेष।

चौहद्दी–

उत्तर– नीज संजीत कुमार दक्षिण– नीज मैंटू कुमार

पूरब– नीज मैंटू कुमार पश्चिम– सड़क पक्की

1 सुनील यादव
पिता - नेबी यादव
ग्राम - बसंतपुर
था०+पो० - अकबरनगर
जि० - भागलपुर
28/10/19

प्रारूपक ....
संजीत कुमार
28/10/19

2 विनीत भारती
पिता - स्व० अवध मंडल
सा० - खानकित्ता
थाना - सबौर
भागलपुर
28/10/19

नि०-13282/19
28/10/19

आदेशानुसार प्रारूपक / क्रेता / एवं विक्रेता के द्वारा दिखाये गये भूखण्ड
मौजा / मोहल्ला अकबरनगर थाना नं० / वार्ड नं० 62 थाना सुल्तानगंज
हो०नं० .... अंचल सुल्तानगंज अवस्थित ग्रामीण वार्ड सं० ... नं० 2317
खेसरा नं० 6840 का चौहद्दी के अनुरूप स्थल जाँच किया / जाँचोपरान्त
जमीन व्यवसायिक परती प्रथम / द्वितीय / तृतीय / विकासशील श्रेणी की है।

28-10-19

जिला अवर निबंधक
भागलपुर

1320.

INDIA NON JUDICIAL
Government of Bihar
e-Stamp

Certificate No.	: IN-BR06371865228963R
Certificate Issued Date	: 28-Oct-2019 01:16 PM
Account Reference	: SHCIL (FI)/ brshcil01/ BHAGALPUR/ BR-BHG/ BGP
Unique Doc. Reference	: SUBIN-BRBRSHCIL0107189960203680R
Purchased by	: MAINTU KUMAR
Description of Document	: Article 35 Lease
Property Description	: Not Applicable
Consideration Price (Rs.)	: 0 (Zero)
First Party	: Not Applicable
Second Party	: MAINTU KUMAR
Stamp Duty Paid By	: MAINTU KUMAR
Stamp Duty Paid (Rs.)	: 13,500(Thirteen Thousand Five Hundred only)
Reg. fee (Rs.)	: 5,500 (Five Thousand Five Hundred only)
LLR & P Fee (Rs.)	: 0 (Zero)
Miscellaneous Fee (Rs.)	: 0 (Zero)
Discore SC (Rs.)	: 500 (Five Hundred only)
Total Amount (Rs.)	: 19,500 (Ninteen Thousand Five Hundred only)

SCROLL CHECKED

Locked By

Do not write or type below this line

0006610266

Statutory Alert:

1. The authenticity of this Stamp Certificate should be verified at "www.shcilestamp.com". Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website renders it invalid.
2. The onus of checking the legitimacy is on the users of the certificate.
3. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority

बिहार सरकार

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

October 28, 2019

जमाबंदी पंजी प्रति

खाता वर्तमान	45	पृष्ठ संख्या	2535	जमायन्दी संख्या	7344		
जिला का नाम	Bhagalpur	अनुमंडल नाम	Bhagalpur Sadar	अंचल का नाम	Sultanganj	हलका का नाम	अकबरनगर
मौजा का नाम	अकबरनगर	होल्डिंग संख्या	N/A	तौजी संख्या	0	थाना नम्बर	62

संजीत कुमार , पिता/पति/अभि -सुरेश प्रसाद यादव जाति- N/A

खाता नम्बर	प्लोट संख्या	रकबा	चौहद्दी	परिवर्तन के लिए प्राधिकार	लगान	सेस
[illegible]	6840	0 ए 20 डी 0 हे	पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण	n/a	0	0
2540	3870	0 ए 44 डी 0 हे	पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण			
2540	3871	0 ए 14 डी 0 हे	पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण			
	कुल परिमान	0 ए 78.75 डी 0 हे				

उपरोक्त जमाबंदी के विरुद्ध दाखिल ख़ारिज का विवरण Mutation Cases Not Found !!

View Reference No - 22002019000480

यह एक कम्प्यूटर जनित प्रति
यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए है
इसका उपयोग किसी भी न्यायलय में साक्ष्य के रूप में नही किया जा सकता है
किसी भी प्रकार की अशुद्धियों के लिए सम्बन्धित अंचलाधिकारी से संपर्क करे
प्लाट का नक्शा देखने के लिए प्लाट नंबर क्लिक करें।

यह जमाबंदी पंजी प्रति ऑनलाइन दाखिल खारिज के वेबसाइट से **Bhagalpur Sadar** के अधिकृत यूज़र **REG2200** द्वारा ऑनलाइन पुष्टीकरण के पश्चात दिनांक **October 28, 2019** को प्रिंट की गई है।
किसी भी प्रकार की अशुद्धियों के लिए सम्बन्धित अंचलाधिकारी से संपर्क करे।

हस्ताक्षर

28/10/19

Endorsement of Certificate of Admissibility

Admissible under Rule 5 - duly Stamped (or exempted from or does not require stamp duty) under the Indian Stamp Act, 1899, Schedule I-A, No. '35'.'||' Also admissible under section 26(a) of the B. T. Act.

Stamp duty paid under Indian Stamp Act	Rs.	14500/-
Addl.Stamp duty paid under Municipal Act	Rs.	0/-

Amt.Paid By N.J Stamp Paper	Rs.	1000/-
Amt.paid through Bank Challan	Rs.	19500/-

Registration Fee

FEE PAID

A1	4500	C	0	H1b	0	K1a	0	Lii	0		
A8	0	D	0	H2	0	K1b	0	Liii	0		
A9	0	DD	0	I	0	K1c	0	Mb	0		
A10	0	E	1000	J1	0	K2	0	Na	0		
B	0	H1a	0	J2	0	Li	0				
							TOTAL-		5500		

LLR + Proc Fee		Service Charge
LLR	0	500
Proc.Fee	0	
Total	0	

Total amount paid (Reg. fee+LLR, Proc+Service Charge) in Rs. - 6000

Date: 28/10/2019

Registering Officer
Bhagalpur

Endorsement under section 52

Presented for registration at Registration Office, Bhagalpur on Monday, 28th October 2019 by Sanjit Kumar Suresh Prasad Yadav by profession Others. Status - Lessor

संजीत कुमार
28/10/19

Signature/L.T.I. of Presentant

Date:28/10/2019

Registering Officer
Bhagalpur

Endorsement under section 58

Execution is admitted by those Executants and Identified by the person (Identified by 'Sunil Yadav' age '39' Sex 'M', 'Nevi Yadav', resident of 'Basantpur,akbarnagar,bhagalpur'.), whose Names, Photographs, Fingerprints and Signatures are affixed as such on back page / pages of the instrument.

Date : 28/10/2019

Registering Officer
Bhagalpur

Endorsement of Certificate of Registration under section 60

Registered at Registration Office Bhagalpur in Book 1 Volume No. 216 on pages on 560 -569, for the year 2019 and stored in CD volume No. CD-34 year 2019 .The document no. is printed on the Front Page of the document.

Date : 28/10/2019

Registering Officer.
Bhagalpur

Token No. : 13282 Year : 2019 S.No. : 13135 SCORE Ver.4.1 Deed No . :d No . : 12973

उम्र 41 वर्ष आधार नं0 9568 9434 0233, पिता श्री सुरेश प्रसाद यादव, जाति यादव, पेशा कास्तकारी, साकिन श्रीरामपुर अकबरनगर, थाना अकबरनगर, जिला भागलपुर, राज्य बिहार, राष्ट्रीयता भारतीय। मो0 नं0 9304847089

2. **लेख्यधारी / (पट्टाधारक) का नाम एवं पुरा पता :–** श्री मैंटू कुमार उम्र 43 वर्ष पिता स्व0 भेदी यादव, जाति यादव, पेशा व्यवसाय, साकिन बसंतपुर पोस्ट वो थाना अकबरनगर, जिला भागलपुर राज्य बिहार राष्ट्रीयता भारतीय। आधार नं0 7453 0024 4723, मो0 नं0 6204737894

3. **लेख्य प्रकार:–** पट्टा / किरायानामा जो 29 वर्ष के लिए।

4. **(A) किराया–** मोवलग 10,000/– रूपैया प्रति वर्ष भुगतेय होगा।

(B) सम्पत्ति का मुल्य– मोवलग 15,00,000/– रूपैया है, **जो व्यवसायिक श्रेणी में मुल्यांकित है।**

कुल मुल्य का 15 प्रतिशत– 2,25,000/– रूपैया है। जिसपर मुद्रांक एवं निबंधन शुल्क अदा किया गया है।

2,25,000/– का 6 प्रतिशत– 12,500/–

2,25,000/– का 2 प्रतिशत– 4,500/–

एग्रीमेन्ट फीस– 2,000/–

19,500/–

5. **सम्पत्ति विवरण :–** मवाजी 10 (दस) डिसमल जिसका पूर्ण विवरण नीचे दिये गया है।

मैं लेख्यकारी (प्रथम पक्ष) उपर के खाना सं0 5 में वर्णित जमीन का अधिपति हूँ जो लेख्यकारी की खरीदगी सम्पत्ति है। जिसका टोकन

मंटू कुमार
18/10/19

Serial No. 450 Circle:-:Sultanganj

Book No. :- 1 Deed No. 3775

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000

Rs.5000

पाँच हजार रुपये

FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

2014

बिहार BIHAR

A 013313

Serial No. 450 Deed No. 3775

Govt. of Bihar

District Registry Office, Bhagalpur

Summary of Endorsement

This document was presented for registration on **17/01/2015** by **Bhagirath Sah**
A Stamp Duty of **Rs. 139620**/- and other Fees of Rs. **47390**/- has been paid in it.
The document was found admissible. The Names, Photographs, Fingerprints and Signatures of the Executants and their Identifier, who have admitted execution before me, are affixed on the reverse page.
The document has been registered as Deed No. **3775** in Book No. **1**, Volume No. **59** on pages from **394** to **401** and has been preserved in total **8** pages in C.D. No. **10** / Year **2015**

Signature with Date

(Satya Narayan Choudhary)
Registering Officer, **Bhagalpur**

Date: 27/02/2016

Token No: 468/2015

बिहार सरकार

SCROLL CHECKED

रंजना कुमारी
नि० व० लि०
जि० निबं० कार्या०

1. लेख्यकारीगण का नाम एवं पूरा पता :— 1. भागीरथ साह

SCROLL CHECKED

वो 2. किस्टो साह वो 3. सरयुग साह पिता स्व0 मोगल साह वो 4. श्रीमति विमला देवी पति श्री भागीरथ साह वो 5. श्रीमति अम्बिका देवी पति सरयुग साह सभी जाति तेली, पेशा खेती वो गृहिणी, साकिन अकबरनगर टोला रसीदपुर, थाना वो पोस्ट अकबरनगर, सब रजिस्ट्री वो जिला भागलपुर, राष्ट्रीयता भारतीय।

2. **लेख्यधारी का नाम एवं पूरा पता** :– मन्टु यादव पिता स्व0 भेदी यादव जाति यादव पेशा खेती, साकिन वसंतपुर, थाना वो पोस्ट अकबरनगर, सब रजिस्ट्री वो जिला भागलपुर, राष्ट्रीयता भारतीय।

3. **लेख्य प्रकार** :– केवाला वयलाकलामी (Sale Deed)

4. **लेख्य मूल्य** :– मोवलग 10,13,000/– दस लाख तेरह हजार रूपैया जिसका आधा मोवलग 5,06,500/– पाद्दच लाख छः हजार पाँच सौ रूपैया होता है। सरकारी मुल्य मोवलग 23,27,000/– तईस लाख सत्ताईस हजार रूपैया है।

5. **सम्पत्ति विवरण** :– हक सोलह आना अराजी मवाजी 2–11½ दो एकड़ साढ़े ग्यारह डीसमल जमीन अराजी कृषि योग्य दो फसला भूमि हक हकुक सोलह अना दखली वो मकबुजगी वाके मौजा अकबरनगर, थाना वो अंचल सुलतानगंज, सब रजिस्ट्री वो जिला भागलपुर अन्दर जमीन्दारी बिहार सरकार वो अंचलाधिकारी सुलतानगंज के है। जिसका थाना नं0 62, हल्का नं0 2 वो जमा सालाना मोवलग 10.00 रूपैया माल अलावे शेष देना होता है, हस्व चौहद्दी जैल :–

खाता	खसरा	रकबा	उत्तर	दक्षिण	पूरब	पश्चिम
555 पाँच सौ पचपन	6836 छः हजार आठ सौ छत्तीस केमि0	0–57 संतावन डीसमल	बाँध	सुलेखा देवी	प्रकाश यादव	लखन साह
556 पाँच सौ छप्पन	6838 छः हजार आठ सौ अड़तीस केमि0	0–72 बहत्तर डीसमल	बाँध	सुलेखा देवी	प्रकाश यादव	लखन साह

6839 21.12/11

1154 एक हजार एक सौ चौवन	6839 छः हजार आठ सौ उनचालीस केमि0	0—82½ साढ़े बेरासी डीसमल	बाँध	गन्नो यादव	माधो देवी	बोध नारायण वगैरह
मोट जमीन 2—11½ दो एकड़ साढ़े ग्यारह डीसमल बिक्री किया जाता है।						

चूँ जायदाद मजकूर मुन्दर्जा खाना नं0 5 वाला लेख्यकारी नं0 1 से लगायत 3 की जमाबंदी नं0 555 ववो 556 हालिया सर्वे में खतियान दर्ज है तथा लेख्यकारी नं0 4 वो 5 की खरीदगी सम्पत्ति है जो मुताबिक तारीख 13.09.1976 ई0 एक ही केबाला से बीबी जैयदा खातुन पति मो0 शफीक साकिन आलमगीरपुर थाना अकबरनगर जिला भागलपुर वाले से खरीदकर हासिल पाई है जिसका दस्तावेज नं0 9022 है। जो जमीन बिक्री करती है। तथा लेख्यकारी नं0 2 अपनी पत्नी के मरने के बाद खुद मालिक की हैसियत से पत्नी की खरीदगी सम्पत्ति स्व0 साधो देवी ने बीबी जैयदा खातुन से दिनांक 13.09.1976 ई0 जिसका दस्तावेज नं0 9023, को खरीदकर हासिल पाई है। जो जमीन बिक्री करते है। इस प्रकार लेख्यकारीगण अपने अपने शेयर के मुताबिक काबिज दखलकार है वो चले आते है तथा अपना अपना खास जमनी बिक्री करने का पुरा पुरा अधिकार प्राप्त है।

लेहाजा लेख्यकारीगण को जरूरत रूपये की वास्ते अपनी लड़की की शादी वो मुआलजा अपने ब्रादर हकीकी वो खर्च खानादारी के निहायत दरपेश थे। इसलिए लेख्यकारीगण ने अराजी मजकुर बिक्री की बात चीत साथ लेख्यधारी के मोवलग 10,13,000/— दस लाख तेरह हजार रूपैया में तय कर लिया था वो कीमत मजकुर वाजीब वो अदल है एवं इस कीमत में जायदाद मजकूर बिक्री करना लेख्यकारीगण को कबुल वो मंजूर है इसलिए लेख्यकारीगण वहालत सेहत जात वो सवाते अक्ल वो दुरूस्तगी, होश व हवाश, बेला जवर वो दबाव किसी के बखुश रजा वो रगवत अपने एकरार करते वो लिख देते है कि जायदाद मजकुर मुन्दर्जा खाना न0 5 वाला को व किमत अदल व वाजिब मोवलग 10,13,000/— दस लाख तेरह हजार रूपैया में बदस्त लेख्यधारी मुन्दर्जा खाना नं0 2 वाला बेचा वो वय किया, और कुल एक मुस्त तमाम वो कमाल खरीदार मजकुर से कवल रजिस्ट्री दस्तावेज हाजा वसुल वेवाक पाकर उपर शय मोवैया के बजाये खुद खरीदार मजकुर को काबिज दखिल किया और मालिक मुस्तकिल गरदाना वो मालिक मुस्तकिल गरदाने जाते रहेंगे।

यह कि अब लेख्यकारीगण का एक खरे मोहरा भी वनिस्वत अदम वसुली जरेसम्मन जिम्मे खरीदार मजकुर के बाकी नहीं रहा वो न है। अगर आईन्दा लेख्यकारीगण या वारिसान कायम मोकामान लेख्यकारीगण किसी किस्म का दावा या उजर वनिस्वंत अदम वसुली जरे सम्मन के पेश लावें या लाया जावे तो वो रद्द वौ वातिल वो ना मसमुए अदालत मोतसव्वर होगा। यह कि अब खरीदार मजकुर को हक हासिल हुआ कि नाम अपना वसिरिस्ता जमींदारी बिहार सरकार में दर्ज करा लेवे।

यह कि लेख्यकारीगण यह भी एकरार करती वो लिख देती हैं कि जायदाद मजकुर पाक वो साफ वो बेखलीश है, किसी किस्म का दस्तावेजात नामी खाह बेनामी तौर पर साथ किसी के पावन्द या इन्तेकाल नहीं किया है। अगर खरीदार मजकुर नोक्श हकीयत की बुनीयाद पर शय मोवैया जुज या कुल से बेदखल हो जावे तो वैसी सूरत में लेख्यकारीगण वापस देने कुल जरेसम्मन मय इर्जा वो खसरा वो सूद वहिसाब की सद फी माह मोवलग 1/– रू0 सैकड़ा जात वो दिगर जायदाद से लेख्यधारी को देने के पाबन्द होंगे।

इसलिए लेख्यकारीगण ने खुब समझ बुझ कर यह चन्द कलमा बतरीक केबाला बयलाकलामी बहक माकिर अलैहा मुन्दर्जा खाना नं0 2 वाला लिख दिया जो समय पर काम आवें।

बाजेह रहे के उक्त खसरा की जमीन भु–धारी/सिलिंग सूची/धार्मीक न्यास पर्षद केशरे हिन्द सरकार द्वारा बन्दोवस्ती नहीं किया है।

टंकक

मो० मासिर खान

कचहरी हाता, भागलपुर

प्रारूपक

उदय प्रसाद सिंह

अधिवक्ता

ला० नं० 5114/95

जिला भागलपुर कोर्ट

साकिन - खैरे हिया

थाना+पोस्ट - अकबरनगर

लेख्यधारी का हस्ताक्षर :–

मन्टु 2169

10-1-15

जिला निबंधन कार्यालय भाागलपुर।

नजरी नक्शा

टोकन नं0 :— दस्तावेज नं0 :— दिनांक :—

बिक्रेता का नाम एवं पता :— ① भागीरथ साह वो② किष्टो साह ③ सरयुग साह पिता स्व० मोगल साह ④ श्रीमति विमला देवी पति भागीरथ साह ⑤ श्रीमति अम्बिका देवी पति सरयुग साह साकिन- अकबरनगर (टोला रसीदपुर) थाना वो पोस्ट- अकबरनगर जिला भागलपुर

क्रेता का नाम एवं पता :— मन्टु यादव पिता स्व० भेदी यादव साकिन बसन्तपुर थाना वो पोस्ट अकबरनगर जिला भागलपुर

मौजा / मोहल्ला :— अकबरनगर अंचल :— सुल्तानगंज

खाता	खसरा	रकवा	उत्तर	दक्षिण	पुरब	पश्चिम
555	6836 के मि०	57 डी०	बाँध	तुलेखा देवी	प्रकाश यादव	लखन साह
556	6838 के मि०	72 डी०	बाँध	तुलेखा देवी	प्रकाश यादव	लखन साह
154	6839 के मि०	82½ डी०	बाँध	गन्नो यादव	माधो देवी	बोधनारायण वगैरह

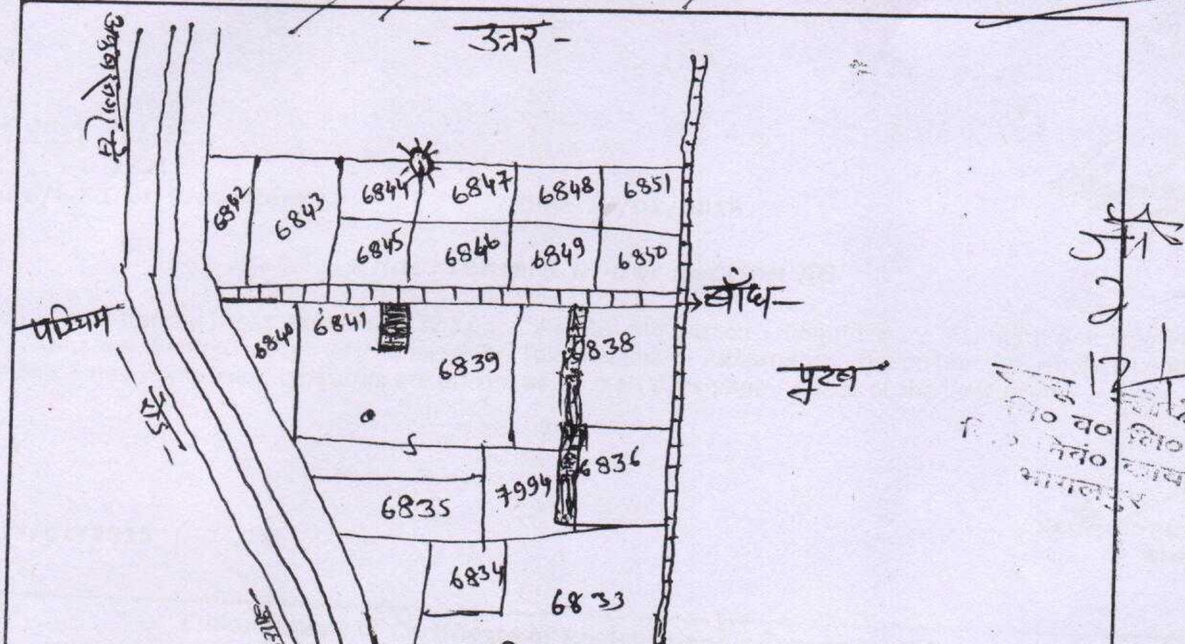

मि० व० मि० ... निबंधन कार्या० भागलपुर

क्रेता का हस्ताक्षर

मन्टु यादव
10-1-15

नक्शा निर्माता का नाम एवं हस्ताक्षर

उदय प्रसाद सिंह

बिक्रेता का हस्ताक्षर

1. भागीरथ साह
10-1-15

4. विमला देवी
10-1-15

2. किष्टो साह 10-1-15

5. अम्बिका देवी
10-1-15

3. सरयुग साह
10-1-15

Endorsement of Certificate of Admissibility

Admissible under Rule 5 : duly Stamped (or exempted from or does not require stamp duty) under the Indian Stamp Act, 1899, Schedule I or I-A, No. '23'.Also admissible under section 26(a) of the B. T. Act.

Stamp duty paid under Indian Stamp Act **Rs. 406920/-**	Amt.Paid By N.J Stamp Paper **Rs. 5000/-**
Addl.Stamp duty paid under Municipal Act **Rs. 0/-**	Amt.paid through Bank Challan **Rs. 182010/-**

Registration Fee

A1	135640	C	0	H1b	0	K1a	0	Lii	0
A8	0	D	0	H2	0	K1b	0	Liii	0
A9	0	DD	0	I	0	K1c	0	Mb	0
A10	0	E	0	J1	0	K2	0	Na	0
B	0	H1a	0	J2	0	Li	0		
								TOTAL-	135640

LLR + Proc Fee

LLR	500
Proc.Fee	50
Total	550

Service Charge: **300**

Total amont paid (Reg. fee+LLR, Proc+Service Charge) in Rs. - 136490

Date: 17/01/2015

Registering Officer
Bhagalpur

Endorsement under section 52

Presented for registration at Registration Office, Bhagalpur on Saturday, 17th January 2015 by Bhagirath Sah Mogal Sah by profession Agriculture. Status - Executant

17-1-15
Signature/L.T.I. of Presentant **Date:17/01/2015**

Registering Officer
Bhagalpur

Endorsement under section 58

Execution is admitted by those Executants and Identified by the person (Identified by 'Ramnath Sah' age '42' Sex 'M', 'Atmaram Sah', resident of 'Akbarnagar Tola Rasidpur, Akbarnagar, Bhagalpur'.), whose Names, Photographs, Fingerprints and Signatures are affixed as such on back page / pages of the instrument.

Date : 17/01/2015

Registering Officer
Bhagalpur

Endorsement of Certificate of Registration under section 60

Registered at Registration Office, Bhagalpur in Book No. 1 Volume No. 59 on page no. 394 to 401 for the year 2015 and stored in CD Volume No. 10 , year 2015. The document no. is printed on the front Page of the document.

बिहार सरकार
SCORE 3.0

Token No. : 468 Year : 2015 S.No. : 450 SCORE Ver.3.0 Deed No. :

Date : 27/02/2016

Registering Officer
Bhagalpur

DEED NO: 3775

Scanned By

RT/623
14/8/2020

सेवा में,

अंचल अधिकारी
सुलतानगंज

विषय :- पत्रांक- 926 दिनांक 22.07.2020 के आलोक में H.P.C.L पेट्रोल पम्प निर्माण हेतु मौजा- अकबरनगर खाता नं० 1154, 2317 खेसरा नं० 6839, 6840 रकबा 31.39 डी० का स्थल जाँच प्रतिवेदन।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक के संदर्भ में श्रीमान के आदेशानुसार वर्णित मौजा- अकबरनगर के खेसरा नं० 6839, 6840 का जाँच करने स्थल पर गये तो पाये की वर्णित खेसरा अकबरनगर - शाहकुंड मुख्य सड़क से पूरब दिशा में अवस्थित है जिसके 1 KM के दायरे कोई भी अस्पताल, विद्यालय या धार्मिक स्थल नहीं है वर्णित भूमि आवेदक मन्नू यादव ने केवाला एवं लीज द्वारा प्राप्त किया है जमीन का स्वरूप एवं चौहद्दी प्रतिवेदन के साथ संलग्न ट्रेसिंग नक्शा में दर्शाया गया है।

अतः पेट्रोल पम्प निर्माण हेतु जमीन जाँच प्रतिवेदन अंचल कार्यालय सुलतानगंज को समर्पित।

2/m
14-08-2020

विश्वासभाजन
[signature]
10.08.2020
अंचल अमीन सुलतानगंज

मौजा - अकबरनगर
थाना न० - ६२
राजस्व थाना
अंचल
पुलिस थाना } सुलतानगंज
जिला - भागलपुर
पैमाना - १६" = १मील
सन् १९६०-६१ ईस्वी

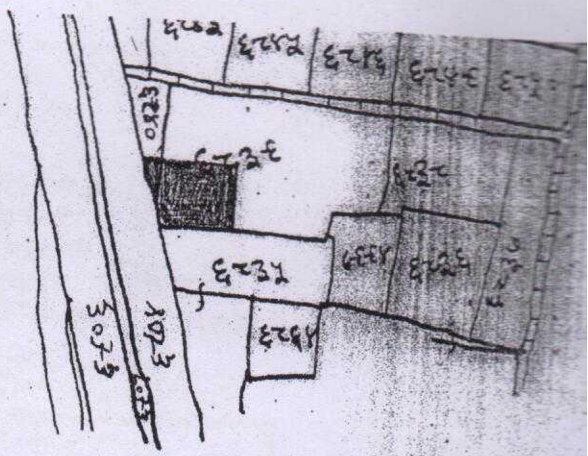

संकेत [1] ▨ ड्रेसींग नक्शा में हरे रंग से रंगा हुआ भाग खेसरा न० 6839 का अंश रकबा 26.65डी० है।

संकेत [2] ◤ ड्रेसींग नक्शा मे लाल रंग से रंगा हुआ भाग खेसरा न०-6840 का अंश रकबा 3.6डी० का है।

नजरी नक्शा

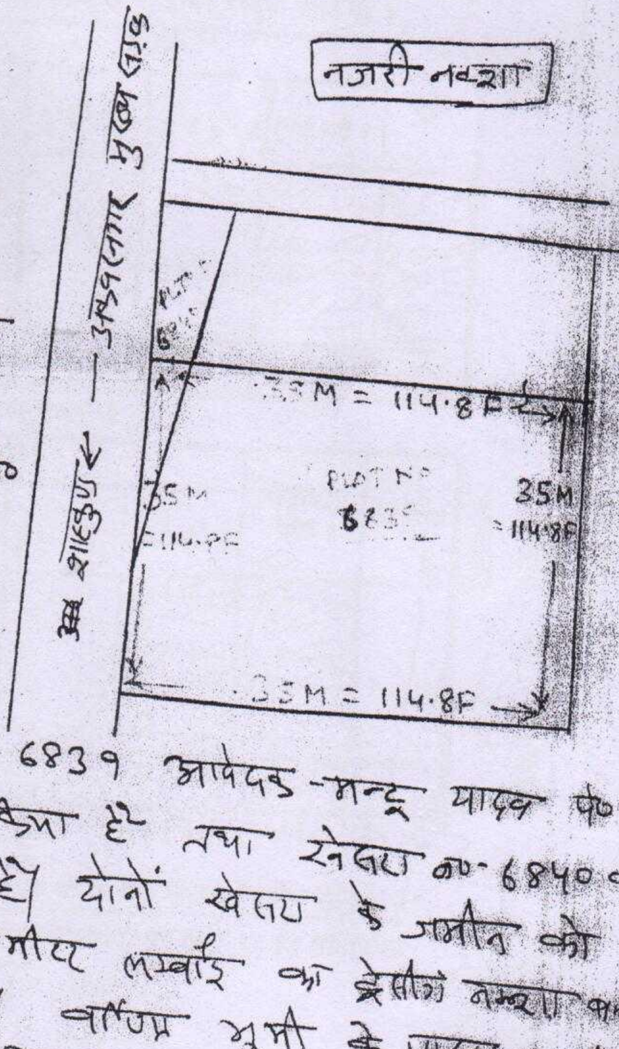

निर्देश :- वर्णित भूमी मौजा अकबरनगर के अन्तर्गत खेसरा न०- 6839 आवेदक-मन्टू यादव पे० स्व भेदी यादव ने केवाला द्वारा प्राप्त किया है तथा खेसरा न० 6840 को लीज: पट्टा द्वारा प्राप्त किया है दोनों खेसरा के जमीन को मिला कर 35 मीटर चौड़ा एवं 35 मीटर लम्बाई का ड्रेसींग नक्शा बना है जिसपर पेट्रोल पम्प आवंटित है वर्णित भूमी के पास 200 मीटर के दायरे में कोई भी अस्पताल, विद्यालय, धार्मिक स्थल नहीं है वर्णित भूमी का चौहद्दी निम्न लिखित है:- उत्तर- खेसरा न०-6839, 6840 अंश दक्षिण- खेसरा न० 6835, पूरब- खेसरा न० 6839 का शेष तथा पश्चिम - S.H-85 अकबरनगर-शाहकुण्ड मुख्य सड़क।

अतः पेट्रोल पम्प आवंटित हेतु ड्रेसींग नक्शा अंचल कार्यालय सुलतानगंज को समर्पित।

विश्वासभाजन
0.08.2020
चयन आमीन, ...

Sch. XIV—F. No. 190V. बि० ग० प्रेस, गया।

रसीद मालगुजारी। करद मालिकी/करद रैयती।

[illegible] । नाम मौजे मय थाना वो थाना नम्बर। **V** नाम रैयत मय वल्दियत [illegible] वो सकुनत। नम्बर। 7344/382 40C

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible] [illegible] — [illegible]

0.783 [illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible] (बकाया वो हाल) मौजूदा साल का।

20-21 वर्ष विवरण	[illegible]	बकाया: तीन वर्षों से ज्यादा।	३रा वर्ष।	२रा वर्ष।	१ला वर्ष।	कुल
मालगुजारी (नगदी)	30				30	30
(भावली)	10				10	10
सेस	20				20	20
सूद	20				20	20
[illegible]	10				10	10
मीजान	90				90	90

[illegible] मालगुजारी।

20-21 [illegible]	बकाया: तीन वर्षों से ज्यादा।	३रा वर्ष।	२रा वर्ष।	१ला वर्ष।	मौजूदा हाल।	[illegible]
माल-गुजारी (नगदी)				30	30	
(भावली)				10	10	
सेस				20	20	
सूद				20	20	
[illegible]				10	10	
मीजान [illegible]				90	90	

180

(१) मीजान-कुल (रुपयों में) — [illegible]

(२) नाम [illegible] 2.5 [illegible]

(३) कुल बकाया [illegible] दस्तखत वो तारीख [illegible] तहसील [illegible]।

[illegible] महाल का बकाया मालगुजारी पर (सिवाय ऐसे बकायों पर जिन पर कि [illegible] जारी हो) सूद नहीं लिया जाता है। [illegible] - 2317, 2540

[illegible] 2020

Sch. XIV—F. No. 180V. बि० ग० प्रेस, गया।

रसीद मालगुजारी। फरद मालिकी/फरद रैयती।

नाम सर्कल। नाम मौज मय थाना वो थाना नम्बर। नाम रैयत मय वल्दियत जमाबन्दी वो सकूनत। नम्बर। 7220

3824405

सु० [illegible] मन्जु कुमा [illegible]

अराजी लगरी अराजी मालगुजारी [illegible]

2.61 [illegible]

खेत का सालाना कुल तफसील (सैसवा वो हाल) मौजूदा साल का।

20-21 बाब कैफियत	सालाना	बकाया: तीन वर्ष से ज्यादा	३रा वर्ष	२रा वर्ष	१ला वर्ष	हाल
मालगुजारी (जेन्ट्री)	80				80	80
(मालगुजारी)	20				20	20
सेस	40				40	40
	40				40	40
सूदकरकाव	20				20	20
मीजान	200				200	200

तफसील अदायगी।

20-21 अदायगी बाबत	बकाया: तीन वर्ष से ज्यादा	३रा वर्ष	२रा वर्ष	१ला वर्ष	मोतालबा हाल	फाजिल
माल- गुजारी (नगदी)				80	80	
(मालगुजारी)				20	20	
सेस				40	40	
मेन्तूर				40	40	
सूदकरकाव				20	20	
मीजान अदायगी				200	200	

400

(१) मीजान कुल (लफ्जों में) — चार सौ [illegible]

(२) नाम देहिन्दा [illegible]

(३) कुल बकाया [illegible] दस्तखत वो तारीख अमला तहसील कुनिन्दा।

*खास महाल का बकाया मालगुजारी पर (सेवाय ऐसे बकायों पर जिन पर कि सर्टिफिकेट जारी हो) सूद नहीं लिया जाता है।

खाता - 3187

1154

1/8/2020